

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/4986

दिनांक: 7/11/2024

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए, राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत लूनकरनसर जिला बीकानेर क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है:-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	बीकानेर	लूनकरनसर	ग्राम पंचायत लूनकरनसर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम लूनकरनसर, चक, 300-700 आरडी, ढाणी भोपालाराम, कालावास, उच्छंगदेसर, जोगियासन, कंकडईच्छा, कलकल मुकलेरा को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या-30,251) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2024-25 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लूनकरनसर जिला बीकानेर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम लूनकरनसर, चक, 300-700 आरडी, ढाणी भोपालाराम, कालावास, उच्छंगदेसर, जोगियासन, कंकडईच्छा, कलकल एवं मुकलेरा को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लूनकरनसर जिला बीकानेर के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार प्रवल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/24/ 4987-5015 दिनांक: 7/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त बीकानेर
10. जिला कलेक्टर बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि नवगठित नगर पालिका लूनकरनसर की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम लूनकरनसर, चक, 300-700 आरडी, ढाणी भोपालाराम, कालावास, उच्छंगदेसर, जोगियासर, कंकडईच्छा, कलकल एवं मुकलेरा जिला बीकानेर।
16. सुरक्षित पत्रावली।

Ram Dutt
7/11/24

(सोमदत्त खाण्डपा)
सहायक विधि परामर्शी